

311224

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
उन्दीलाल पुत्र शीकराम 712 (22/2/24)	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 303/2021 GCMS No. 2021/1080

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

311224

वादी श्री उन्दीलाल पुत्र शीकराम  
जाति मे निवासी खुर्दपुर द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021" कैम्प ग्राम पंचायत चितावा में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 ग्राम चितावा पटवार मण्डल चितावा के खाता नम्बर 444 में वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि उन्दीलाल पुत्र शीकराम दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम उन्दीलाल पुत्र शीकराम है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 008374800215 - आधार नम्बर 3361 0362 0368 मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज - की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी चितावा भू.अ.नि चितावा एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।

1214-1216

उपखण्ड अधिकारी  
कुचामनसिटी (नागौर)

